"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 सितम्बर 2009—भाद्र 16, शक 1931

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-113/सात-2/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 98 के अधीन नगरीय क्षेत्रों में भूमि के निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण के संबंध में निर्मित नियम में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 255) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :—

नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाये :—

"(33) नवीन पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि व्यपवर्तन के लिए 10 (दस) एकड़ तक की भूमि को पुनर्निर्धारण से छूट दिया जाएगा साथ ही हेरीटेज होटल के मामले में व्यपवर्तन के लिए पूर्ण छूट दिया जायेगा."

Raipur, the 2nd September 2009

NOTIFICATION

No. F-2-113/Seven-2/2008.—The following draft of amendments in the Rules regarding Assessment and Reassessment of Land in Urban Areas made under Section 98 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 258 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is published as per required by sub-section (3) of Section 258 of the said Land Revenue Code, 1959 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration of the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur (Room No. 255), shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :—

After rule 32, the following rule shall be inserted :—

"(33) Reassessment exemption for land diversion is to be given upto 10 (Ten) Acres of land for new Tourism projects as well as full exemption is to be given in the case of Heritage Hotels for reassessment."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.